न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 30 / 2024
दायर दिनांक : 07.10.2024
निर्णय दिनांक : 13.11.2025

उनवान

1. गोवर्धनसिंह पिता मोड़सिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पिता मांगू खटीक निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. चुन्नीलाल पिता मांगू जाति खटीक निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
3. बाबूलाल पिता मांगू खटीक निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
4. तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री देवीलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजकुमार लढा, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि :

यह है कि मौजा कांकरवा पटवार हल्का, कांकरवा में प्रार्थी की खातेदारी की आ.सं. 4526 रकबा 0.83 है., आ.सं. 4765 रकबा 0.80 है. किता 2 रकबा 1.63 है. भूमि है, सबूत में जमाबंदी संलग्न है। प्रार्थी अपनी कृषि आराजियात पर चित्तौड़गढ़ से उदयपुर जाने वाली सड़क से आ.सं. 4523 की दक्षिणी दिशा से होकर अपनी खातेदारी की आराजियात में प्रवेश करता है तथा प्रार्थी ने अब पूर्व खातेदार आ.सं. 4526 को सोहनकुंवर से खरीदा उस समय भी इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे थे और वर्तमान में भी प्रार्थी व उसके परिवारजन, सिजारी अपनी खातेदारी की आराजियात में जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग कर रहा है तथा खाली भरी बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि इसी रास्ते से बिना रोक टोक आ जा रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड व नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी को हैरान परेशान कर रहे है जिस कारण प्रार्थी की आराजियात में जाने के लिऐ रास्ता दर्ज कराया जाना आवश्यक है। दिनांक 02.04.2022 को प्रार्थी बाहर गांव गया था तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की आराजियात पर जाने वाले रास्ते पर तार जाली लगाकर रास्ता बंद कर दिया, प्रार्थी को अपनी कृषि आराजियात आराजी नं. 4526 पर जाने के लिऐ इस रास्ते के सिवाय अन्य कोई रास्ता वर्तमान में नहीं है। प्रार्थी की फसल खेत में पड़ी है, अप्रार्थीगण अपनी दादागिरी व ताकत के बल पर प्रार्थी की आराजियात पर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है, प्रार्थी को फसल काश्त करने में परेशानी हो रही है। खातेदार नानीबाई की मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारिस अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 हैं। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है। मुझ प्रार्थी के द्वारा दिनांक 03.04.2022 को प्रार्थी को रास्ता खोलने के लिऐ कहा तो अप्रार्थीगण ने लडाई झगडा किया प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 03.04.22 से पैदा होकर निरन्तर जारी है। अतः निवेदन है अप्रार्थीगण की आ.सं. 4523 की दक्षिण दिशा की मेड पर 30 फीटर चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते के लिये डी.एल.सी. दर या श्रीमान के आदेशानुसार रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने के लिये तैयार है।

उक्त प्रकरण श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चित्तौडगढ के निर्णय 14.08.2024 से प्रतिप्रेषित होकर इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ कि उभयपक्ष [illegible] उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं के द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर गुणा[illegible] पर [illegible] निर्णय पारित किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी की ओर से वकील श्री देवीलाल जाट एवं प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री राजकुमार लढ्ढा उपस्थित आऐ। तहसीलदार, भूपाल[illegible] को मान. न्यायालय के [illegible] रिमाण्ड आदेश की अनुपालना में पत्र दिनांक 30.01.2025 जारी कर प्रदत्त निर्देशानुसार रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार भूपालसागर के द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/3[illegible] दिनांक 03.04.2025 से रिपोर्ट प्रेषित की गई।

तहसीलदार, भूपालसागर के द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 03.04.2025 में अंकित किया कि ग्राम कांकरवा के आ.सं. 4526 रकबा 0.83 है. एवं आ.सं. 4765 रकबा 0.80 है. पर आने जाने के लिये आ.सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:08:00 IST
Reason: SelfAttested

4523 में से रास्ता चाहा है। ग्राम कांकरवा के आ.सं. 4526 व 4765 वादी श्री गोवर्धनसिंह पिता मोड़सिंह राजपूत निवासी कांकरवा के नाम दर्ज रिकार्ड है। आ.सं. 4523 प्रतिवादीगण श्री लक्ष्मण, चुन्नीलाल, बाबूलाल पिता मांगू खटीक निवासी कांकरवा के भूमि में से आने जाने हेतु आदेशानुसार दिनांक 12.03.2025 को जरिये तामील अग्रिम सूचना पत्र से वादी एवं प्रतिवादीगण को नियत दिनांक 19.03.2025 को हमराह भू.अ. निरीक्षक, कांकरवा व पटवार हल्का, कांकरवा राजस्व रिकार्ड के साथ मौका देखा गया। स्टेट हाईवे भूपालसागर से फतहनगर से वादी अपनी खातेदारी भूमि पर प्रवेश हेतु प्रतिवादीगण के खातेदारी भूमि आ.सं. 4523 में से रास्ता उपलब्ध होने पर ही जाया जा सकता है। आ.सं. 4526 एवं 4523 की दक्षिण दिशा की तरफ में ही रास्ता दिया जाना है। अतः आ.सं. 4526 की दक्षिणी दिशा की तरफ से आ.सं. 4523 का क्षेत्र 4 मीटर तक आगे बढा है अतः यह बढा हुआ 4 मीटर एवं 5 मीटर रास्ता इस प्रकार प्रतिवादीगण की आ.सं. 4523 में से चौड़ाई 9 मीटर एवं लम्बाई 14 मीटर रास्ता कुल 126 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना है। संलग्न नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया है। वर्तमान में ग्राम कांकरवा की डी.एल.सी. दर अधिकतम 15,26,300/ प्रति हैक्टेयर से 126 वर्गमीटर भूमि की कीमत 19,231/ रूपये अक्षरे उन्नीस हजार दो सौ इक्तीस बनती है।

रास्ता दिये जाने में तहसीलदार भूपालसागर द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है व सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कांकरवा पटवार हल्का कांकरवा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 4526, 4765 में आने जाने हेतु अप्रार्थी की आ.सं. 4523 में से 9X14= 126 वर्गमीटर है, जिसका जिसका राजस्व नक्शा दिनांक 28.03.2025 व पर्चा मौका संलग्न है, का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर पहुंच हेतु कायम किया जावे। उक्त भूमि डीएलसी दर 15,26,300 रूपये प्रति हैक्टयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 126 वर्गमीटर की कुल मालियत 19,231 रूपये का दुगुना 38,462/ रूपये अक्षरे राशि अडतीस हजार चार सौ बासठ रूपये प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी को उपलब्ध करवायी जावे। उक्त राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गागोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:08:00 IST
Reason: SelfAttested